

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/अनु.-3/वेज/68151/2014

जयपुर दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

28 APR 2020

विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मेट की मजदूरी दर के संबंध में।

सन्दर्भ – विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 23.05.2019

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.03.2020 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर दिनांक 01.04.2020 से रु. 220/- प्रति दिवस की गई है।

उक्त दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशों के अतिक्रमण में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित मेट की मजदूरी दर में संशोधन कर दिनांक 01.04.2020 से रु. 235/- प्रति दिवस की जाती है। तदनुसार दिनांक 01.04.2020 से योजनान्तर्गत नियोजित मेट को रु.235/- प्रति दिवस की मजदूरी दर से भुगतान किया जावे।

पूर्व में जिन मेटों को भुगतान किया जा चुका है उन्हें किसी भी प्रकार का ऐरियर देय नहीं होगा।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 102001857 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
9. श्री शशीकान्त मुन्जाल, (एसीपी) को पत्र को जरिये ईमेल भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली

अरविन्द सक्सेना
अभियन्ता, ईजीएस